

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/2249 /

जबलपुर, दिनांक 09/05/2018

दो-13-19/18

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 161/4/31/82/नि-1/4, दिनांक 31.01.1983 में निहित प्रावधान के अनुसार स्वर्गीय श्री रमेश पटेल, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की मृत्यु दिनांक 03/03/2018 को हो जाने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखे में शेष 228 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान किए जाने की स्वीकृति एवं उक्त राशि का भुगतान श्रीमती रामकली पटेल पति स्वर्गीय श्री रमेश पटेल, भृत्य को किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सही/-
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/2250 /

जबलपुर, दिनांक 09/05/2018

दो-13-19/18

प्रतिलिपि :-

- ✓ 1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. अनुभाग अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
5. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
6. सहायक वेतन पत्रक/अवकाश/सेवापुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
8. श्रीमती रामकली पटेल पत्नी स्व. श्री रमेश कुमार पटेल, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
पता- मकान नं. 1048/3, लालमाटी, सिद्ध बाबा बिहारी मोहल्ला घमापुर जबलपुर
मो. नं. 7828820235
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(अजय पवार)
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)

7/5/18